न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी वर्षा शर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

प्रा0पत्र संख्या–21/2021
प्रा0पत्र प्रविष्टि दिनांक–06.08.2021
निर्णय दिनांक–20.02.2024

कन्हैयालाल पुत्र पीरू दत्तक पुत्र जगन्नाथ जाति गुर्जर निवासी ग्राम पीतावास तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि भूमि आराजी ख0न0 260 रकबा 00–04 बीघा, ख0न0 262 रकबा 00–07 बीघा, ख0न0 266 रकबा 00–11 बीघा, ख0न0 287 रकबा 00–14 बीघा किस्म गै.मु. चाह कुल किता 04 कुल रकबा 01–16 बीघा वाके ग्राम पीतावास व भूमि आराजी ख0न0 154 रकबा 4.6787 हैक्ट. वाके ग्राम अकबरनगर तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसका प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी के दत्तक पिता का नाम जगन्नाथ पुत्र श्योबक्स था। जिनकी मृत्यु हो चुकी है। परन्तु प्रार्थी के पिता का नाम उपरोक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में जगन्नाथ पुत्र लाला दर्ज है। जो त्रुटीपूर्ण है। जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम जगन्नाथ पुत्र श्योबक्स है। प्रार्थी के पिता का नाम सभी दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान कार्ड, भामाशाह कार्ड व मृत्यु प्रमाण पत्र सभी मे सही नाम जगन्नाथ पुत्र श्योबक्स ही अंकित है। अतः प्रार्थी के पिता का नाम जगन्नाथ पुत्र लाला की जगह जगन्नाथ पुत्र श्योबक्स दुरूस्त किया जाकर प्रार्थी के पिता के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थी के पिता जगन्नाथ पुत्र श्योबक्स की मृत्यु हो चुकी है। अन्य भूमि में प्रार्थी का नाम नामान्तकरण जरिये वसीयत खुल चुका है। लेकिन उपरोक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी के दत्तक पिता का नाम श्योबक्स की जगह लाला हो जाने के कारण उक्त भूमि का नामान्तकरण प्रार्थी के नाम दर्ज नहीं किया गया है। प्रार्थी अनपढ़ होने के कारण अपना राजस्व रिकॉर्ड नही देख सका। जिसमें प्रार्थी के दादा का नाम लाला अंकित था। जबकि प्रार्थी के दादाजी का सही नाम जगन्नाथ पुत्र श्योबक्श है। जो सही है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

सहवन से जगन्नाथ पुत्र श्योबक्श की जगह जगनाथ पुत्र लाला अंकित कर दिया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि ख0न0 260 रकबा 00–04 बीघा, ख0न0 262 रकबा 00–07 बीघा, ख0न0 266 रकबा 00–11 बीघा, ख0न0 287 रकबा 00–14 बीघा किस्म गै.मु. चाह कुल किता 04 कुल रकबा 01–16 बीघा वाके ग्राम पीतावास व भूमि आराजी ख0न0 154 रकबा 4.6787 हैक्ट. वाके ग्राम अकबरनगर तह0 पीपलू में वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थी के पिता का नाम जगन्नाथ पुत्र लाला के स्थान पर जगन्नाथ पुत्र श्योबक्श दर्ज किया जाकर उपरोक्त राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थी के नाम नामान्तकरण दर्ज किये जाने के आदेश फरमावे।

पत्रावली दर्ज पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू की गई तथा अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई है। तहसीलदार पीपलू ने तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया की ग्राम पीतावास के ख0न0 260 रकबा 00–04 बीघा, ख0न0 262 रकबा 00–07 बीघा, ख0न0 266 रकबा 00–11 बीघा, ख0न0 287 रकबा 00–14 बीघा किस्म गै.मु. चाह कुल किता 04 कुल रकबा 01–16 बीघा जगन्नाथ पुत्र लाला हि0 1/2 जाति गुर्जर सा0देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि जमाबंदी संवत 2034–37 के खाता संख्या 10 मे जगन्नाथ पुत्र लाला हि0 1/2 के नाम दर्ज थी। जो आदिनाक तक भी जगन्नाथ पुत्र लाला के नाम ही दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम अकबरनगर की जमाबंदी संवत् 2072–75 मे खाता सख्या 30 में ख0न0 154 रकबा 4.6787 हैक्ट. जगन्नाथ पुत्र लाला जाति गुर्जर सा0 पीतावास राहिन बी.आर.के.जी.बी. शाखा सोहेला के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजीयात भू प्रबन्ध विभाग की जमाबंदी मे जगन्नाथ वल्द लाला गुर्जर सा0 पीतावास के नाम दर्ज थी। जो कि आज दिनांक तक जगन्नाथ पुत्र लाला गुर्जर के ही दर्ज रिकॉर्ड है। वर्तमान में जगन्नाथ की मृत्यु होना बताया गया है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए बताया की ख0न0 260 रकबा 00–04 बीघा, ख0न0 262 रकबा 00–07 बीघा, ख0न0 266 रकबा 00–11 बीघा, ख0न0 287 रकबा 00–14 बीघा किस्म गै.मु. चाह कुल किता 04 कुल रकबा 01–16 बीघा वाके ग्राम पीतावास व भूमि आराजी ख0न0 154 रकबा 4.6787 हैक्ट. वाके ग्राम अकबरनगर तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसका प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी के दत्तक पिता का नाम जगन्नाथ पुत्र श्योबक्श था। जिनकी मृत्यु हो चुकी है। परन्तु प्रार्थी के पिता का नाम उपरोक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में जगन्नाथ पुत्र लाला दर्ज है। जो त्रुटीपूर्ण है। जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम जगन्नाथ पुत्र श्योबक्श है। प्रार्थी के पिता का नाम सभी दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान कार्ड, भामाशाह कार्ड व मृत्यु प्रमाण पत्र सभी मे सही नाम जगन्नाथ पुत्र श्योबक्स ही अंकित है। अतः प्रार्थी के पिता का नाम जगन्नाथ पुत्र लाला की जगह जगन्नाथ पुत्र श्योबक्स दुरूस्त किया जाकर प्रार्थी के पिता के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थी के पिता जगन्नाथ पुत्र श्योबक्स की मृत्यु हो चुकी है। अन्य भूमि में प्रार्थी का नाम नामान्तकरण जरिये वसीयत खुल चुका है। लेकिन उपरोक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी के दत्तक पिता का नाम श्योबक्स की जगह लाला हो जाने के कारण उक्त भूमि का नामान्तकरण प्रार्थी के नाम दर्ज नहीं किया गया है। प्रार्थी

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

नपढ होने के कारण अपना राजस्व रिकॉर्ड नही देख सका। जिसमें प्रार्थी के दादा का नाम लाला अंकित था। बकि प्रार्थी के दादाजी का सही नाम जगन्नाथ पुत्र श्योबक्श है। जो सही है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में संहवन जगन्नाथ पुत्र श्योबक्श की जगह जगनाथ पुत्र लाला अंकित कर दिया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वेदन है कि भूमि ख0न0 260 रकबा 00–04 बीघा, ख0न0 262 रकबा 00–07 बीघा, ख0न0 266 रकबा 00–11 घा, ख0न0 287 रकबा 00–14 बीघा किस्म गै.मु. चाह कुल किता 04 कुल रकबा 01–16 बीघा वाके ग्राम तावास व भूमि आराजी ख0न0 154 रकबा 4.6787 हैक्ट. वाके ग्राम अकबरनगर तह0 पीपलू में वर्णित राजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम जगन्नाथ पुत्र लाला के स्थान पर जगन्नाथ पुत्र योबक्श दर्ज किया जाकर उपरोक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम नामान्तकरण दर्ज किये जाने के आदेश रमावे।

अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया की ग्राम पीतावास के ख0न0 260 रकबा 00–04 बीघा, ख0न0 262 कबा 00–07 बीघा, ख0न0 266 रकबा 00–11 बीघा, ख0न0 287 रकबा 00–14 बीघा किस्म गै.मु. चाह कुल कता 04 कुल रकबा 01–16 बीघा जगन्नाथ पुत्र लाला हि0 1/2 जाति गुर्जर सा0देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। क्त भूमि जमाबंदी संवत् 2034–37 के खाता संख्या 10 में जगन्नाथ पुत्र लाला हि0 1/2 के नाम दर्ज थी। जो ादिनांक तक भी जगन्नाथ पुत्र लाला के नाम ही दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम अकबरनगर की जमाबंदी संवत् 2072–75 खाता संया 30 में ख0न0 154 रकबा 4.6787 हैक्ट. जगन्नाथ पुत्र लाला जाति गुर्जर सा0 पीतावास राहिन बी. ार.के.जी.बी. शाखा सोहेला के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजीयात भू प्रबन्ध विभाग की जमाबंदी में जगन्नाथ ल्द लाला गुर्जर सा0 पीतावास के नाम दर्ज थी। जो कि आज दिनांक तक जगन्नाथ पुत्र लाला गुर्जर के ही र्ज रिकॉर्ड है। वर्तमान में जगन्नाथ की मृत्यु होना बताया गया है।

सरपंच ग्राम पंचायत डारडातुर्की, पंचायत समिति पीपलू ने प्रमाण पत्र जारी कर कथन किया की न्हैयालाल गुर्जर पुत्र जगन्नाथ जाति गुर्जर निवासी ग्राम पीतावास तह0 पीपलू जिला टोंक के निवासी है। प्रार्थी न्हैयालाल पुत्र पीरू दत्तक पुत्र जगन्नाथ है एवं कन्हैयालाल के दादाजी का नाम जगन्नाथ पुत्र श्योबक्ष है। जो ही है।

सरपंच ग्राम पंचायत बगडी ने प्रमाण पत्र जारी कर प्रमाणित किया जाता है कि कन्हैयालला गुर्जर पुत्र गन्नाथ जाति गुर्जर निवासी ग्राम पीतावास तह0 पीपलू जिला टोंक का निवासी है। कन्हैयालाल पुत्र पीरू दत्तक त्र जगन्नाथ है। कन्हैयालाल के दादाजी का जगन्नाथ पुत्र श्योबक्ष है। जो सही है।

हमने पत्रावली व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा परिवार राशन कार्ड, प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत डारडातुर्की, प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत बगड़ी, संलग्न वसीयतनामा, शपथ पत्र बद्री पुत्र केसरलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम पीतावास, शपथ पत्र श्योजीराम पुत्र किशनलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम पीतावास, शपथ पत्र मोतीलाल पुत्र पोखर जाति गुर्जर निवासी ग्राम पीतावास, शपथ पत्र दयाराम पुत्र श्योजीराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम पीतावास, शपथ पत्र लक्ष्मीनारायण पुत्र घासी जाति गुर्जर निवासी ग्राम पीतावास व अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष बहस पर मनन किया। उक्त अवलोकन से स्पष्ट हैं

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

कि प्रार्थी के पिता का शुद्ध नाम जगन्नाथ पुत्र श्योबक्स है। जबकि भूमि आराजी ख0न0 260 रकबा 00–04 बीघा, ख0न0 262 रकबा 00–07 बीघा, ख0न0 266 रकबा 00–11 बीघा, ख0न0 287 रकबा 00–14 बीघा किस्म गै.मु. राह कुल किता 04 कुल रकबा 01–16 बीघा वाके ग्राम पीतावास, पटवार हल्का हाडीखुर्द व भूमि आराजी ख0न0 154 रकबा 4.6787 हैक्ट. वाके ग्राम अकबरनगर, पटवार हल्का अनवरपुरा खेडा में प्रार्थी के पिता का नाम जगन्नाथ पुत्र लाला अंकित है। जो त्रुटीपूर्ण है। अतः उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता के त्रुटीपूर्ण नाम जगन्नाथ पुत्र लाला के स्थान पर प्रार्थी के पिता का शुद्ध नाम जगन्नाथ पुत्र श्योबक्स दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अवगत कराया गया है कि जगन्नाथ पुत्र श्योबक्स फौत हो चुका है। प्रार्थी ही उसका वारिस है। अतः प्रार्थी के नाम विरासत का नामान्तकरण तस्दीक किया जावे। पत्रावली व पत्रावली में संलग्न वसीयतनामा के अवलोकन किया जाकर उक्त वर्णित आराजीयात में जगन्नाथ पुत्र श्योबक्स के हिस्से का प्रार्थी कन्हैयालाल पुत्र पीरू दत्तक पुत्र जगन्नाथ के नाम विरासत का नामान्तकरण भरने हेतु आदेश तहसीलदार पीपलू को दिया जाता है। तहसीलदार पीपलू उक्त निर्णय अनुसार पालना करना सुनिश्चित करे। निर्णय आज दिनांक 20.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

(वर्षा शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

Scanned with CamScanner